

सीख  
हुकम

उपखंड अधिकारी पदेन

सहायक क्लर्क करेड़ा

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

प्रभावशीलता के अभाव में सुवर्ण

09/02/2022

प्रभावशीलता के अभाव में सुवर्ण  
उपस्थिति की प्रतीति नहीं है। एवं  
स्वयं विपक्षी संघ। उपस्थित नहीं। प्रकरण  
में कई बार एक-दूसरे पर आरोपों  
लगावाइ जाते पर भी विपक्षी संघ।  
स्वयं एवं उनके अधिकारों उपस्थित  
नहीं। विपक्षी संघ। के अनुपस्थित  
रहने से एक पक्षीय कार्यवाही का  
आदेश दिया जाता है तथा विपक्षी  
संघ। के जवाब का अवसर भी  
बंद किया जाता है।

प्रभावशीलता के अभाव में सुवर्ण  
की एक तरफ बहस सुनी गई।  
बहस के दौरान अधिकारों प्रयोग में  
प्रत्येक पक्ष में वर्णित तथ्यों को  
देखते हुए निवेदन कि ग्राम  
ममणा, पो. हरमना, तहसील स्थित  
राज स्वरेड्डा जमावटी सं. 207/  
से 2014 मेरवाली सं. 164 में अंकित  
आंकं. 258 रकबा 15 बिस्वा, 26/  
रकबा 03 बिस्वा, 262 रकबा 2.14 बीघा  
203 रकबा 02 बिस्वा कुल पकित 4 कुल  
रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा (स्वा. त. हर)  
से उपरोक्त एवं विपक्षी संघ. के  
संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है। उक्त  
आए जिला पर प्रमाण एवं विपक्षी संघ  
अपने-अपने हक हिस्से का बिपक्ष  
होकर उपरोक्त प्रमाणों को रद्द  
उक्त वादों में आरोपित का विभाजन  
नहीं हुआ है। विपक्षी संघ। उक्त  
आरोपित में बिना विभाजन  
करके अद्वितीय करने पर उक्त रु. 1  
जैसे-जैसे भी रकबा का अंकित



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नाम्ना  
अहम  
हुकम  
में  
सम

निर्माण कार्य हेतु सामग्री एकत्र कर  
 वृषि आराजिमात को नुकसान पहुंचा  
 रहने विपक्षी संघ 1 को उक्त आराजिमात  
 पर बिना विभाजन कराये प्रत्ये गिण  
 वी इजाजत के बिना निर्माण करने  
 का कार्य अधिकाधिक नहीं है विभाजन  
 कराये हेतु विपक्षी गण को कहने पर इनका  
 हो गये और उक्त आराजिमात को बिना  
 विभाजन कराये ही अन्य लोगों को  
 विक्रय, रहत, बय कक्षीस कर देने की  
 धमकी दी जा रही है, उन के कब्जे  
 शुदा उक्त आराजिमात से बेहर कम  
 कर देगा। इसी वजह से प्रथी गिण को  
 उक्त वाद वास्त विभाजन आराजिमात  
 एवं स्थायी निषेदाज्ञा का प्रस्तुत करने  
 की नौकर आयी जिसके निस्कारण तक  
 विपक्षी गण के विरुद्ध स्थायी निषेदाज्ञा  
 जारी किया जाना आवश्यक एवं  
 न्यायोचित है।

इस प्रकार प्रथी गिण का प्रथम हस्ता  
 मामला व सुविधान संतुलन प्रथी गिण के  
 पक्ष में है। उक्त आराजिमात के बिना  
 विभाजन कराये विपक्षी संघ 1 प्रथी गिण  
 को बेहर कम कर देगा, अहमि कार्य  
 निर्माण बिना जाते से अलग रूप में मुकदमे  
 बाजी बट जायेगी जिससे प्रथी गिण को  
 इस इनीफ सहि होगी जिसरी शत अर्थ  
 में संभव न ही है। प्रथी गिण के  
 प्रार्थनापत्र में वर्णित तौर विनु  
 प्रथी गिण के पक्ष में है।

अतः प्रथी गिण का प्रार्थनापत्र सी कम्  
 परमाणु जाकर विपक्षी गण को  
 मूल कद के निर्णय तक उक्त आराजिमात  
 एवं प्रस के विरुद्ध माग का अन्य

उपखंड अधिकारी पदेन  
 सहायक कलक्टर करेडा

र व  
को  
की  
जारी

सहायक कलक्टर करेडा  
हुकम या कार्यवाही मम इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

लच्छू गुजरात सुवालाम गुजरात

कारिकाओं को विकल्प, दहन, वपकशी  
द्वारा अंतरीत नहीं करे न ही इसमें  
अकृषि कार्य हेतु कोई निमार्ण करे  
एवं ज्वरन अधीगण को उनको  
अंतरिक्ष में से बेहरवा नही करे  
व न कर कि इस बाबत अस्था  
निषेधाज्ञा से पावेंद करावे  
पभावनी में पार्थीगण के अधीकृत  
की एक तरफा बहस एवं पभावनी  
में आलापकन, मनन कि जा जाने  
उपरान्त पादा कि पार्थना यम  
में वगैरह लीनों विन्दु अधीगण  
के पक्ष में होने से पार्थीगण का  
पार्थना यम स्वीकार में बढ़  
बहरता है अतएव

:: आदेश ::

पार्थीगण का पार्थना यम स्वीकार  
किपा जाकर उक्त आराजिमर  
का विना विभाजन कार्य विपरीत  
के जोरिधे अस्थानी निषेधाज्ञा से  
भूमि वर के निषेध तक पावेंद  
दिजा जाता है कि उक्त वाद गुल  
आराजिमर या उसके किसी भी  
भू भाग का अग्ना वकिलों को विकल्प,  
रहन, वपकशीलु द्वारा अंतरीत नही  
कर, न करावे और न ही इसमें  
अकृषि कार्य हेतु कोई निमार्ण कार्य  
करे व न करावे। पभावनी पक्ष  
शुमार हाबा दर्ज नंबर से कम  
हो। निषेध करे उपखंड सुनापगण/